[2019] 3 उम. नि. प. 64

राजेन्द्र ललित कुमार अग्रवाल

बनाम

श्रीमती रत्ना अशोक मुरंजन और एक अन्य

31 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 – द्वितीय अपील – सारवान् विधि का प्रश्न – विनिर्दिष्ट पालन अनुदत्त करना या उससे इनकार करना – चूंकि किसी दस्तावेज़, जैसे करार आदि के निबंधनों और शर्तों का निर्वचन करना सारवान् विधि का प्रश्न गठित करता है इसलिए द्वितीय अपील को इस आधार पर खारिज करना कि उसमें कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है त्रुटिपूर्ण होगा और धारा 100 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा ।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने वादगत संपत्ति के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक सिविल वाद फाइल किया था । उक्त वाद एक करार पर आधारित था । प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन फाइल किए और अपीलार्थी के दावे से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के वाद को डिक्री कर दिया और प्रत्यर्थियों के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक डिक्री पारित कर दी । प्रत्यर्थियों ने व्यथित महसूस किया और जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थियों (प्रतिवादियों) की अपील मंजूर कर ली और वाद को खारिज कर दिया । अपीलार्थी (वादी) ने व्यथित महसूस किया और उसने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए द्वितीय अपील खारिज कर दी कि अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन साबित किए जाने के लिए यथापेक्षित कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं होता है, जिसके कारण वादी द्वारा विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील फाइल की गई है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस संबंध में विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी दस्तावेज़ (जैसे इस मामले में एक करार) के किसी निबंधन और शर्त का निर्वचन करना संहिता की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अर्थान्तर्गत सारवान् विधि का प्रश्न गठित करता है । ऐसा तब और अधिक संभव हो जाता है जब दोनों पक्षकार दस्तावेज़ को स्वीकार कर लेते हैं । चूंकि दस्तावेज़ों का निर्वचन करना सारवान् विधि का प्रश्न गठित करता है इसलिए उच्च न्यायालय को सर्वप्रथम अभिवचनों और दोनों निचले न्यायालयों के विपरीत निष्कर्षों के संदर्भ में, मामले में उद्भूत होने वाले और विशेष रूप से करार के खंड 3, 5 और 15 से उद्भूत होने वाले सही आशय, अधिकारों और बाध्यताओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में समुचित सारवान् प्रश्न(प्रश्नों) को विरचित करना चाहिए था और उसके पश्चात् प्रत्यर्थियों से संहिता की धारा 100(5) और उसके परन्तुक के अधीन अपनी अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए विरचित प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए थी । इसके अलावा, उच्च न्यायालय ऐसे मुद्दों के संबंध में भी, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 की अपेक्षाओं, पक्षकारों के अभिवचनों और ऐसे मुद्दों के संबंध में दोनों निचले न्यायालयों के विपरीत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट पालन की मंजूरी देने या उससे इनकार करने के लिए तात्विक हैं, इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सा निष्कर्ष अधिक बेहतर है, प्रश्न विरचित कर सकता था । आक्षेपित आदेश को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि एक ओर उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात् दस्तावेज़ के निबंधनों का निर्वचन किया और दूसरी ओर, निष्कर्ष के रूप में यह अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं होता है । अतः, उसने वास्तव में संहिता की धारा 100 की उपधारा (4) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त अपनी अधिकारिता की परिधि को ध्यान में रखे बिना द्वितीय अपील को प्रथम अपील की तरह द्विपक्षी रूप में विनिश्चित किया । द्वितीय अपील का विनिश्चय करते समय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संहिता की धारा 100 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था । (पैरा 12, 13, 14 और 15)

सिविल अपीली अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 1331.

2017 की द्वितीय अपील सं. 44 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 6 अगस्त, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मुकुल रोहतगी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, मकरंद डी. अदकर, ब्रज के. मिश्रा, विजय कुमार और (सुश्री) भारती त्यागी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री आर. बी. सिंघल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आर. के. सिंह और (सुश्री) रश्मी सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2017 की द्वितीय अपील सं. 44 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 6 अगस्त, 2018 के उस अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में के अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई द्वितीय अपील खारिज कर दी थी ।

3. इस अपील में अंतर्वलित संक्षिप्त संविवाद का मूल्यांकन करने की दृष्टि से कुछ सुसंगत तथ्यों का इसमें इसके नीचे उल्लेख करना आवश्यक है ।

4. उस सिविल वाद में, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, अपीलार्थी वादी है और प्रत्यर्थी प्रतिवादी हैं ।

5. अपीलार्थी ने वादगत संपत्ति के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक सिविल वाद फाइल किया था । उक्त वाद तारीख 8 अगस्त, 1984 के एक करार पर आधारित था । प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन फाइल किए और अपीलार्थी के दावे से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 5 जुलाई, 2004 के निर्णय/डिक्री द्वारा अपीलार्थी के वाद को डिक्री कर दिया और प्रत्यर्थियों के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक डिक्री पारित कर दी ।

6. प्रत्यर्थियों ने व्यथित महसूस किया और पुणे के जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 10 नवम्बर, 2016 के निर्णय/डिक्री द्वारा प्रत्यर्थियों

(प्रतिवादियों) की अपील मंजूर कर ली और वाद को खारिज कर दिया । अपीलार्थी (वादी) ने व्यथित महसूस किया और उसने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की ।

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए द्वितीय अपील खारिज कर दी कि अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 100 के अधीन साबित किए जाने के लिए यथापेक्षित कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, जिसके कारण वादी द्वारा विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील फाइल की गई है ।

8. इस अपील में जो संक्षिप्त प्रश्न विचारार्थ उद्भूत होता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा वादी की द्वितीय अपील को इस आधार पर खारिज करना न्यायोचित था कि उसमें संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं होता है ।

9. पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई की गई ।

10. हम, पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, इस अपील को मंजूर करने के लिए बाध्य हैं और आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए मामले को उसमें उद्भूत होने वाले समुचित सारवान् प्रश्न विरचित करने के पश्चात् विधि के अनुसार गुणागुण के आधार पर द्वितीय अपील का विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं ।

11. अभिलेख और विचारण न्यायालय, प्रथम अपील न्यायालय के निर्णयों और आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने के पश्चात् हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि अपील में संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं होता है । हमारी राय में, अपील में सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित होता था और इसलिए उसे संहिता की धारा 100(4) के अधीन यथा-उपबंधित द्वितीय अपील को उसकी अंतिम सुनवाई के लिए ग्रहण करते समय विरचित किया जाना चाहिए था । वास्तव में, संहिता की धारा 100(5) में यह उपबंध किया गया है कि अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 100(4) के

अधीन सारवान् विधि का प्रश्न विरचित किए जाने पर ही की जाएगी ।

12. इस संबंध में विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी दस्तावेज़ (जैसे इस मामले में तारीख 8 अगस्त, 1984 का करार) के किसी निबंधन और शर्त का निर्वचन करना संहिता की धारा 100 के अर्थान्तर्गत सारवान् विधि का प्रश्न गठित करता है । ऐसा तब और अधिक संभव हो जाता है जब दोनों पक्षकार दस्तावेज़ को स्वीकार कर लेते हैं ।

13. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि दस्तावेज़ों का निर्वचन करना सारवान् विधि का प्रश्न गठित करता है इसलिए उच्च न्यायालय को सर्वप्रथम अभिवचनों और दोनों निचले न्यायालयों के विपरीत निष्कर्षों के संदर्भ में, मामले में उद्भूत होने वाले और विशेष रूप से तारीख 8 अगस्त, 1984 के करार के खंड 3, 5 और 15 से उद्भूत होने वाले सही आशय, अधिकारों और बाध्यताओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में समुचित सारवान् प्रश्न (प्रश्नों) को विरचित करना चाहिए था और उसके पश्चात् प्रत्यर्थियों से संहिता की धारा 100(5) और उसके परन्तुक के अधीन अपनी अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए विरचित प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए थी ।

14. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ऐसे मुद्दों के संबंध में भी, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 की अपेक्षाओं, पक्षकारों के अभिवचनों और ऐसे मुद्दों के संबंध में दोनों निचले न्यायालयों के विपरीत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट पालन की मंजूरी देने या उससे इनकार करने के लिए तात्विक हैं, इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सा निष्कर्ष अधिक बेहतर है, प्रश्न विरचित कर सकता था ।

15. आक्षेपित आदेश को पढ़ने से हमें यह प्रतीत होता है कि एक ओर उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात् दस्तावेज़ के निबंधनों का निर्वचन किया(दोनों पक्षों की वकीलों की मार्फत उपसंजाति देखें) और दूसरी ओर, निष्कर्ष के रूप में यह अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं होता है । अतः, उसने वास्तव में संहिता की धारा 100 की उपधारा (4) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त अपनी अधिकारिता की परिधि को

ध्यान में रखे बिना द्वितीय अपील को प्रथम अपील की तरह द्विपक्षी रूप में विनिश्चित किया । हमारी राय में, द्वितीय अपील का विनिश्चय करते समय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संहिता की धारा 100 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था ।

16. तथापि, प्रत्यर्थियों (प्रतिवादियों) की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने बलपूर्वक यह दलील दी कि उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में, जो कि सकारात्मक हैं, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वाद को तात्विक मुद्दों के आधार पर ठीक ही खारिज कर दिया गया था किन्तु हमारी राय में, उच्च न्यायालय को अब सारवान् विधि का प्रश्न विरचित करने के पश्चात् मुद्दे की गुणागुण के आधार पर नए सिरे से परीक्षा करनी चाहिए । अतः, हम उन मुद्दों के संबंध में, जिन पर जोर दिया गया है, गुणागुण के आधार पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं ।

17. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम यह राय बनाने के पश्चात् कि मामले को प्रतिप्रेषित किया जाए, मामले के गुणागुण के संबंध में विचार करने से प्रविरत रहते हैं और अपील को मंजूर करते हुए और आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए यह मामला उच्च न्यायालय को इस अनुरोध के साथ प्रतिप्रेषित करते हैं कि अपील को ग्रहण किया जाए और विधि संबंधी ऐसे समुचित सारवान् प्रश्न विरचित किए जाएं, जो इस मामले में संहिता की धारा 100(4) के निबंधनानुसार उद्भूत होते हैं और इसके पश्चात् संहिता की धारा 100(5) के अनुसार विरचित प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात् द्वितीय अपील को विधि के अनुसार गुणागुण के संबंध में हमारी किसी भी मताभिव्यक्ति से प्रभावित हुए बिना गुणागुण के आधार पर विनिश्चित किया जाए ।

18. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की जाती है ।

ग्रो.